कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाढ़

पत्रांक 955 / बाढ़ / दिनांक 19.06.21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बाढ़।

सेवा मे

Maa Tara Company,
Vijay Shankar Sharma,
Gangasarai, Barahiya, Lakhisarai

विषय :– राज्य योजना (नाबार्ड) योजनान्तर्गत एन0एच0–30ए से शाहपुर पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के आलोक में कहना है, कि विषयांकित पथ का निर्माण कार्य आपके द्वारा एकरारनामा संख्या 32 / SBD / 2017-18 के अधीन पूर्ण किया गया है। एकरारनामा के अनुसार पूर्णता की तिथि से पॉच वर्ष तक अनुरक्षण कार्य आपको करना है, तथा पथ को Defect Free हालत में रखना है। परन्तु आपके द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया है, जो काफी खेदजनक है। अनुरक्षण के अभाव में सरकारी सम्प्रति का ह्रास हो रहा है, जिसके लिए पूर्णतः आप जिम्मेवार है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि पत्र निर्गत की तिथि से सात दिनों के अन्दर अनुरक्षण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा आठवें दिन पथ का अंतिम मापी कर लिया जायेगा, जिसमें कि आपकी या आपके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थित नहीं रहने पर भी आपको कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं अंतिम मापी कर लि जायेगी। तदोपरांत एकरारनामा के सुसंगत कंडिका के तहत आपको डिबार करते हुए एकरारनामा को विखंडित करने की कारवाई करते हुए अग्रधन एवं जमानत की राशि जब्त कर लिया जायेगा। साथ ही अनुरक्षण कार्य विभाग द्वारा अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा तथा राशि की वसूली आपके जमानत एवं अन्य राशियों से किया जायेगा।

विश्वासभाजन

19/06/2021

for कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बाढ़।

Scanned with CamScanner